## मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आवेदन पत्र

_	$\sim$	_	
प्र	١c	Ŧ	

कार्यालय प्रमुख,	दावेदार का फोटो
कार्यालयविभागविभाग	स्व हस्ताक्षरित
जिला इंदौर, म.प्र	चस्पा करे।

विषय: मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत दावें की स्वीकृति कें संबंध में आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषयांतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार दावा स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

1.	नामांकित/ दावेदार का नाम पूरा	:	
	नाम(आधार कार्ड अनुसार)		
	नामांकित/ दावेदार का मृतक से संबंध	:	
2.	(आधार कार्ड/ निर्वाचन कार्ड) प्रमाणित		
	प्रति		
3.	वर्तमान पता	:	
4.	दुरभाष/ मोबाईल नंबर	:	
5.	स्थाई पता	:	
٦.	V 114 1VII		
6.	दुरभाष/ मोबाईल नंबर	:	
	मृतक पूरा का नाम(आधार कार्ड/		
7.	सेवाअभिलेख अनुसार	•	
8.	पद नाम	:	
9.	पदस्थी कार्यालय स्थान/ कार्यालय	:	
10.	विभाग/ कार्यालय का नाम		
	विभाग का नाम		
		•	
	कार्यालय का पता:	:	
	ई मेल	:	
	दुरभाष क्रं.	:	

11.	निम्नानुसार दस्तावेजों/ प्रपत्रों की मूल अथवा प्रम 1. मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)	णित प्रति संलग्न है:- 🗸 चिन्ह लगावें।		
	2. दावेदार का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)			
	<ol> <li>मृतक व दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पः</li> </ol>	त्र (प्रमाणित प्रति)		
	4. "अ" श्रेणी के आवेदन के लिये प्रयोगशाला रिप	गेर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया		
	गया हो की कोविड-19 (मूल या प्रमाणित प्रति	i) के परीक्षण में सकारात्मक		
	परिणाम आये थे।			
	5. जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो उस अस्पताल	का निर्गत मृत्यु सारांश		
	(प्रमाणित प्रति)			
	6. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति)			
	7. "ब" श्रेणी के आवेदन के लिये पोस्ट मार्टम रिपोर्ट(प्रमाणित प्रति)			
	8. "ब" श्रेणी के आवेदन के लिये एफ.आई.आर. (प्रमाणित प्रति)			
	9. रद्द (कैंसिल) किया हुआ गया चेक (मूल प्रति)			
	10. संबंधित कार्यालय द्वरा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि			
	कार्य कर रहा था। (मूल प्रति)			
	दावेत	दार के हस्ताक्षर		
		-		
	मोब	ाइल/ दुरभाष क्रमांक		

कार्यालय का नाम				
जिला इंदौर, म.प्र.				
क्रमांक		इंदौर, दिनांक		
	ज्ञापन सह प्र	ामाण पत्र		
प्रति,				
	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी			
	जिला इंदौर, म.प्र.			
विषय:	3			
	में आवेदन पत्र वांछित प्रमाण सहित अ	ग्राषत किय जान क संबंध म।		
	उपरोक्त विषयांतर्गत <b>मुख्यमंत्री कोविड-</b>	<b>9 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत</b> दावेदार*		
श्री/श्रीमती/क्	पिता/पति	द्वारा,		
_		म		
		जिला इंदौर,		
म.प्र. की <b>मृत्</b>	यु दिनांकको हो जा	ने से आवेदन पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत		
किया गया है	- T			
2/	उक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में व	गर्यालयीन अभिलेखों एवं दस्तावेजों के		
आधार पर य	ह प्रमाणित किया जाता है, कि <b>मृतक ना</b>	Ŧ		
पदनाम	कार्यालय/ विभाग क	ा कर्मचारी था/ कार्यरत था एवं कोविड-19		
के रोकथाम हेत् कार्य कर रहा था। अतः दस्तावेंजों/ अभिलेखों के सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टी उपरांत				
दावेदार का आवेदन पत्र स्वीकृति की अनुशंसा के साथ मय सहपत्रों के आपकी ओर आगामी				
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।				
संलग्न:- उपरोक्तानुसार कुलप्रपत्र ।				
	अव	प्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर		
		मपद नाम		
		बाइल/ दुरभाष क्रमांक मेन		
		मेल <b>ार्यालय प्रमुख)</b>		

नोट:- \*दावेदार:- दावा राशि हेतु पात्रता के क्रम में पित/ पत्नी (जैसी भी स्थिती हो) प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिती में विधिक सन्तानों (विवाहित पुत्री को छोड़कर) एक से अधिक होने पर बराबर राशि, विधवा/ परित्यकता, पुत्री/ विधवा पुत्र वधु(यदि वह पूर्णत: आश्रित हो) माता पिता, भाई-बहन (यदि वह पूर्णत: आश्रित हो) को क्रमिक रूप से दावा राशि हेतु पात्रता होगी।